न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम,

अनवान....नेमीचन्द.... बनाम....कोयली....

किस्म मुकदमा....212.... मु०नं०....186.... सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
07.07.2021	प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगणो को आगामी पेशी दिनांक 17.08.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि विवादित हाल आ0ख0नं0 93/1.8500 चाही चतुर्थ, 93/1.8500 है0 जाव चतुर्थ कुल किता 1 कुल रकबा 1.8500 है0 वाके ग्राम सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आराजी वादी व तर0 प्रति0 मे असल प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 4 मजामहत मदालखत पैदा ना करे, आराजी को जोतने बोने फसल काटने समेटने मे रूकावट बाधा पैदा ना करे, आराजी को कानूनी रूप से तकसीम करवाये बिना दीगर जगह रहन बैय आदी से खुर्द बुर्द मुन्तकिल ना करे, असल प्रतिवादी सं0 5 विवादित आराजी का कोई भी दस्तावेज बैयनामा आदी पंजिबद्ध ना करे, मौका व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 17.08.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम
17/8/21	वास्ते तलबी पत्रावली रिकॉर्ड 28.9.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 28/12/21 पत्रावली कैम्प कोर्ट मे पेश हुई। पत्रावली का निस्तारण नही होने से आईन्दा पत्रावली न्याया0 हाजा में दिनांक 10/1/22 को पेश हो। एस डी ओ/~~तहसी~~ (हस्ताक्षर)
10/1/22	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार [illegible] अर्जी दावा 212 [illegible] डिग्री [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दावा से [illegible] [illegible] [illegible] हो। ~~लिखा~~ पत्रावली दाखिल दफ्तर हो वाद के साथ सलग्न रहे। (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:09:02 IST
Reason: SelfAttested